

फारम-VIII-क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या -8(4)

आप के आवेदन संख्या..... तिथि..... के संदर्भ में श्रीमती/श्री Rakesh Kumar Saha
(क) Basme + G + 3 R + C भवन के निर्माण के लिए

(ख) भवन के पुनर्निर्माण X

(ग) भवन के परिवर्तन X

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन X

(ङ) भवन के उपयोग में उपयोग में परिवर्तन X

..... नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी
आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित, ...
योजना/आयोजना प्राधिकार/ आयोजन स्कीम के प्लॉट नं०. (सी०.एस०.) Khatm NO - 137
Khatm NO - 137 होल्डिंग नं०..... गांव महदपुरा मोहल्ला वार्ड नं० 21 के बाबत

निम्नलिखित शर्तों / निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

(क) भूमि/ भवन का उपयोग अन्य रूप से (Basme + G + 3 R + C) प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस
प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया
जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार
किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 567.93 वर्ग मीटर वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और
इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 3.14 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य
होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांति पूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/
आयोजना प्राधिकारों या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित
किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के
अधीनस्थ नगर निगमों/ नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/
आयोजना क्षेत्र में मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

FOR ASHA HOMES (P) LTD.
my signature
Director

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ट) कोई अन्य शर्तें।

आदेशानुसार

प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार/
नगर कार्यपालक पदाधिकार
नगर परिषद् खगौल, पटना

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि:—अनुमोदित योजनाओं की प्रतियों के साथ श्रीमति/श्री.....को सूचनार्थ अग्रसरित।

आदेशानुसार

प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार/
नगर कार्यपालक पदाधिकार
नगर परिषद् खगौल, पटना

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि:—योजना की अनुमोदित प्रति के साथ विकास योजना/आयोजना प्राधिकार या किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र को सूचनार्थ अग्रसरित।

आदेशानुसार

प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार/
नगर कार्यपालक पदाधिकार
नगर परिषद् खगौल, पटना

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि:—नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन, बिहार पटना को सूचनार्थ अग्रसरित।

आदेशानुसार

प्राधिकृत पदाधिकारी/प्राधिकार/
नगर कार्यपालक पदाधिकार
नगर परिषद् खगौल, पटना